न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

नाकरण सं. 23/2016/अपील

1. अशोक कुमार पुत्र पूरणमल जाति महाजन निवासी ग्राम खूड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राजस्थान ।

—अपीलांट

ब ना म

1. ग्राम पंचाय खूड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खूड ।
2. राजकुमार
3. प्रमोद कुमार
4. संजय कुमार

पुत्रगण मालचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम खूड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

5. जामोती देवी पत्नि मालचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम खूड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राजस्थान ।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं 478 दिनांक 05.07.2005 बतस्दीक ग्राम पंचायत, खूड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील अपीलांटस की ओर से
2. रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2,से 5 की ओर से श्री कमलकुमार शर्मा वकील
3. रेस्पोन्डेट संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही ।

निर्णय

दिनांक—30.09.2016

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 1222, 1239, 1383, 1399 किता 4 कुल रकबा 0.60 हैक्टर अवस्थित है । उक्त भूमियों की खातेदारी पूर्व में अपीलान्ट के दादा बिरजू के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी तथा बिरजू की मृत्यु हो जाने पर उनकी विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी अपीलान्ट के पिता पूरणमल व चाचा मालचन्द के नाम से भरा गया । अपीलान्ट अपने पिता पूरणमल का इकलौता जायन्दा पुत्र है अपीलान्ट के पिता पूरणमल का स्वर्गवास दिनांक 12.08.2000 को हो चुका है अपीलान्ट के पिता की मृत्यु हो जाने पर अपीलान्ट के चाचा (रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 3 के पिता व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के पति) मालचन्द ने अपीलान्ट के पिता पूरणमल को ना औलाद बताकर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खूड से आपसी मिलीभगत कर विरासत का नामान्तकरण संख्या 478 दिनांक 05.07.2003 को स्वयं के नाम से भरवाकर उपरोक्त वर्णित पैतृक कृषि भूमियों की खातेदारी अपने अकेले के नाम

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

Scanned with CamScanner

से करवा ली जबकि मृतक पूरणमल का प्रार्थी/अपीलान्ट एकमात्र जायन्दा पुत्र है एवं अपील में वर्णित उपरोक्त कृषि आराजियात में से 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है । ग्राम पंचायत खूड द्वारा बिना जांच करवाये ही मेरे पिता पूरणमल को ना औलाद मान लिया गया तथा किसी भी प्रकार की जांच नहीं करवाई गई जबकि मैं पूरणमल का वारिश था । इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा भरा गया नामान्तकरण संख्या 478 खारिज किया जावे । तथा प्रार्थी अपीलान्ट के नाम पुनः नामान्तकरण करवाया जाकर वर्णित आराजियात में 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे ।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 2 से 5 की ओर से वकील श्री कमल कुमार शर्मा उपस्थित आये तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को जरिये एडी तलबी होकर प्राप्त हुई इसलिए रे.संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया ग्राम खूड की आराजी खसरा नम्बर 1222, 1239, 1383, 1399 किता 4 कुल रकबा 0.60 हैक्टर में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट का व 1/2 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 का रहेगा राजीनामे पर पक्षकारों की पहचान वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा की गई ।

3. बहस वकील अपीलांट /रेस्पोन्डेन्टस की सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान निवेदन किया कि पक्षकारों की बीच आपस में राजीनामा हो चुका है ग्राम खूड की आराजी खसरा नम्बर 1222, 1239, 1383, 1399 किता 4 कुल रकबा 0.60 हैक्टर में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट का व 1/2 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 का रहेगा । हमने वकील अपीलान्ट/रेस्पोन्डेन्टस की बहस व राजीनामे पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 478 दिनांक 05.07.2003 बतस्दीक ग्राम पंचाचत, खूड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवरण अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर ना.करण सं. 478 दिनांक 05.07.2003 बतस्दीक ग्राम पंचाायत, खूड निरस्त किया जाता है एंव अपील तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि बिरजू पूरणमल, के विधिक वारिसों की जांच कर अपीलान्ट के नाम पुनः नामान्तकरण भरवाकर तस्दीक किया जावे। पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

4. यह निर्णय आज दिनांक 30.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned with CamScanner